निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 श्रावण 1948 (श0)

(सं0 पटना 869) पटना वृहस्पतिवार 23 जुलाई 2026

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

22 जुलाई 2026

सं० वि०स०वि०-21/2026-3359 वि०स०—''भारतीय स्टाम्प (बिहार संशोधन) विधेयक, 2026'', जो बिहार विधान सभा में दिनांक–22 जुलाई, 2026 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

आदेश से,
पूनम सिन्हा,
प्रभारी सचिव।

भारतीय स्टाम्प (बिहार संशोधन) विधेयक, 2026
[वि०स०वि०-23/2026]

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (समय–समय पर यथा संशोधित) को संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के 77वें वर्ष में बिहार राज्य के विधान मंडल द्वारा निम्न रूप में अधिनियमित होगाः–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।–

(1) यह अधिनियम भारतीय स्टाम्प (बिहार संशोधन) अधिनियम, 2026 कहा जा सकेगा ।

(2) यह संपूर्ण बिहार राज्य में लागू होगा ।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा ।

2. भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 47 ए(1) का प्रतिस्थापन।–उक्त अधिनियम की धारा 47 ए(1) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता हैः–

''अगर रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 के तहत नियुक्त निबंधन पदाधिकारी को किसी सम्पत्ति के हस्तान्तरण, सम्परिवर्तन, बदलैन, दान, बंटवारा, लीज़ या सेटलमेंट से जुड़े दस्तावेज को निबंधित करते समय यह लगता है कि सम्पत्ति का वर्गीकरण, अवस्थिति और/या उस पर बनी संरचना का माप और/या संरचना का प्रकार गलत बताया गया है या फिर उस सम्पत्ति का बाजार मूल्य, इस अधिनियम के नियमों के तहत तैयार प्राक्कलित न्यूनतम मूल्य की मार्गदर्शक पंजी में बताई गई दर से कम बताई गई है, तो वह ऐसे दस्तावेज को निबंधित करने से पहले, उस सम्पत्ति का सही बाजार मूल्य और उस पर देय सही स्टाम्प शुल्क तय करने के लिए मामले को समाहर्त्ता/सहायक निबंधन महानिरीक्षक के पास भेजेगा'' ।

3. भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 47 ए(3) में संशोधन।–

उक्त अधिनियम की धारा 47 ए(3) में प्रयुक्त शब्दावली ''2 वर्ष'' को शब्द ''4 वर्ष'' से एवं ''समाहर्त्ता'' को'' समाहर्त्ता/सहायक निबंधन महानिरीक्षक'' से प्रतिस्थापित किया जाता है ।

4. भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 47 ए(7) का प्रतिस्थापन।– उक्त अधिनियम की धारा 47 ए(7) को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता हैः–

'' अगर सही बाजार मूल्य तय होने के बाद यह पता चलता है कि पक्षकारों ने जान बूझकर सम्पत्ति का विवरण, उसका बाजार मूल्य या चुकाए जाने वाले स्टाम्प शुल्क पर असर डालने वाले किसी भी अन्य तथ्य और हालात के बारे में कोई गलत या गुमराह करने वाली जानकारी दी गई है/छिपाई गई है या दी है (जैसा कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 भारतीय स्टाम्प (बिहार संशोधन) अधिनियम, 1988 द्वारा संशोधित, की धारा 27 के तहत ज़रूरी है), तो समाहर्त्ता/सहायक निबंधन महानिरीक्षक या अपील दायर होने की स्थिति में अपीलीय प्राधिकार, कमी मुद्रांक शुल्क और तय सामान्य मुद्रांक शुल्क के अलावा, कमी मुद्रांक शुल्क के 100% (एक सौ प्रतिशत) के बराबर जुर्माना लगा सकते हैं ।''

5. भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 47–ए के उप–खंड (8) में संशोधन।– उक्त अधिनियम की धारा 47–ए के उप–खंड (8) में एक परन्तुक निम्न प्रकार से जोड़ा जाता हैः–

''बशर्ते कि इस तरह से लगने वाले ब्याज की कुल रकम, किसी भी स्थिति में, कमी मुद्रांक शुल्क की रकम से ज्यादा न हो''।

उद्देश्य एवं हेतु

निबंधन विभाग का मुख्य कार्य राजस्व का संग्रहण करना है । राजस्व मुख्यतः भूमि का विक्रय पत्र, दान–पत्र, विनिमय पत्र, विभाजन पत्र एवं बन्दोबस्ती विलेख पर प्रभार्य मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क की वसूली कर प्राप्त की जाती है । वर्त्तमान में कई विकासात्मक कार्यों/परियोजनाओं के कारण भूमि के मूल्य में गुणात्मक वृद्धि हुई है । आमजनों में भूमि की सही–सही प्रकृति अथवा बाजार मूल्य छुपाकर राजस्व संग्रहण को प्रभावित किया जाता है । वर्त्तमान में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 47ए के कई प्रावधानों में समयानुसार संशोधन नहीं होने की वजह से राजस्व क्षति की वसूली में विधिक समस्याएँ आती हैं । इन्हीं समस्याओं के विधिक समाधान हेतु कुछ संशोधन आवश्यक है, जिससे राजस्व की क्षति को रोका जा सके और नियमानुसार वसूली की जा सके।

प्रस्तावित संशोधन का मुख्य उद्देश्य निबंधन पदाधिकारियों की दस्तावेजों के सत्यापन एवं संपत्ति के बाजार मूल्य के उचित निर्धारण हेतु आवश्यक अधिकार प्रदान करना, गलत अथवा भ्रामक विवरण प्रस्तुत करने की स्थिति में दंडात्मक प्रावधानों को अत्याधिक प्रभावी बनाना है ।

इसके अतिरिक्त, संशोधन के माध्यम से मामलों के प्रकाश में आने पर इस धारा के अन्तर्गत कार्रवाई करने हेतु समय–सीमा को युक्तिसंगत बनाना, राजस्व संग्रहण को सुदृढ़ करना तथा राज्य सरकार के लिए अधिक प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित करना भी अभिप्रेत है ।

इसलिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा47ए के कतिपय धाराओं में संशोधन एवं प्रतिस्थापन अपेक्षित है । भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 47ए (1), 47ए (3), 47ए (7) एवं 47ए (8) में संशोधन एवं प्रतिस्थापन किया जाना है।

एतदर्थ भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 47ए में संशोधन हेतु इस विधेयक में कतिपय प्रावधान किया जाना ही इस विधेयक का उद्देश्य है तथा इसे अधिनियमित करना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।

भार–साधक सदस्य।

पटना,
दिनांक–22.07.2026

प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 869-571+10-डी0टी0पी0
Website: https://egazette.bihar.gov.in